संचिका सं0– मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101/2023

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
।। संकल्प ।।

विषयः– ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में चिन्हित ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण/उन्नयन द्वारा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत किये जाने हेतु "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना [Mukhya Mantri Gramin Sadak Unnayan Yojana (MMGSUY)]" की स्वीकृति के संबंध में।

ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में विभिन्न योजनाओं से निर्मित एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हुए पथों के नियमित एवं व्यवस्थित सुधार, मरम्मत एवं रख–रखाव का कार्य गैर योजना बजट शीर्ष 3054 सड़क तथा सेतु के तहत बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 अन्तर्गत किया जा रहा है परंतु वैसे पथ जिनकी निरुपण अवधि पूर्ण हो चुकी है अथवा निरुपण अवधि के पूर्व ही निरुपित यातायात को प्राप्त कर लिया गया है, के उन्नयन हेतु पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण /चौड़ीकरण किये जाने के उद्देश्य से योजना बजट शीर्ष अन्तर्गत "**मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना**" की आवश्यकता महसूस की गयी है।

इस योजना के तहत राज्य के सभी जिला/ प्रखण्ड/ पंचायत एवं बड़े गाँवों/टोलों को महत्वपूर्ण उच्च स्तर के पथों यथा राष्ट्रीय उच्च पथ (एन0एच0)/राज्य उच्च पथ (एस0एच0)/वृहद जिला पथ (एम0डी0आर0), महत्वपूर्ण संस्थानों, ग्रामीण बाजारों/हाटों को जोड़ने वाली, भारी यातायात को वहन करने वाली, न्यूनतम दूसरी पीढ़ी की महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों के उन्नयन हेतु पुनर्निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण किये जाने से ग्रामीण जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढांचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा तथा राज्य के किसी भी कोने से अधिकतम 5 घंटे की अवधि में राज्य की राजधानी पटना पहुँचने का लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग किया जा सकेगा।

अतः वर्णित स्थिति एवं तथ्यों के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत चिन्हित महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण/उन्नयन द्वारा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत किये जाने के उद्देश्य से "**मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना [Mukhya Mantri Gramin Sadak Unnayan Yojana (MMGSUY)]**" नामक नई योजना प्रारम्भ की जाती है।

इस योजना का कार्यक्षेत्र, संचालन, क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण आदि से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय/नियम/सिद्धांत निम्नांकित हैः–

(1) ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में विभिन्न योजनाओं से निर्मित एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हुए वैसे पथ जिनकी निरुपण अवधि पूर्ण हो चुकी है अथवा निरुपण अवधि के पूर्व ही निरुपित यातायात को प्राप्त कर लिया गया है, में से अत्यंत क्षतिग्रस्त/क्षतिग्रस्त लगभग 10000 कि0मी0 पथ के उन्नयन हेतु पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण इस योजना के द्वारा किया जायेगा।

(2) इसके लिए एक नया योजना शीर्ष खोला जायेगा तथा इसके तहत बजटीय उपबंध के आलोक में Bank Of Sanction (BOS) के अंतर्गत वित्त विभाग के नियमानुसार विभाग द्वारा चयनित पथों की स्वीकृति प्रदान कर क्रियान्वयन कराया जायेगा।

(3) इस योजना अंतर्गत पथों की चयन प्रक्रिया, निरुपण, मानक निविदा अभिलेख, क्रियान्वयन इत्यादि के लिए विभाग अन्तर्गत गठित उच्चस्तरीय तकनीकी समिति द्वारा मापदण्ड एवं मार्गदर्शिका निर्गत किया जायेगा, जिसे आवश्यकतानुसार सुसंगत आई0आर0सी0 की संहिताओं अथवा प्रशासनिक निर्णयों के आलोक में संशोधित करने हेतु विभाग सक्षम होगा।

(4) इस योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक समेकित नवीनतम भारित औसत PCI एवं उम्र के आधार पर अंक निर्धारित करते हुए Comprehensive Upgradation cum Consolidation Priority List (CUCPL) तैयार कर जिला स्तर पर उच्चतम अंक वाले पथों का विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार चयन कर पुनर्निर्माण/उन्नयन हेतु सुदृढ़ीकरण /चौड़ीकरण का कार्य योजना शीर्ष अन्तर्गत बजटीय उपबंध के आलोक में वित्त विभाग, बिहार सरकार के नियमानुसार स्वीकृत कर कराया जायेगा।

इसके अतिरिक्त पथ के अधिक जनोपयोगी होने अथवा किसी ढ़ॉचागत विकास /संस्थान के विकसित होने पर संभावित यातायात अधिक होने की स्थिति में विभाग द्वारा पथ का चयन कर पुनर्निर्माण/उन्नयन कार्य कराया जा सकेगा।

(5) इस योजना के अंतर्गत अंतर प्रखण्ड/अंतर जिला के महत्वपूर्ण पथों को भी सम्मिलित किया जा सकेगा। जिन प्रखण्ड अंतर्गत चयनित पथ की लम्बाई अधिक होगी, उसके प्रशासनिक नियंत्रण वाले कार्य प्रमंडल द्वारा उक्त पथ के पुनर्निर्माण/उन्नयन कार्य का क्रियान्वयन कराया जायेगा।

(6) इस योजना के तहत चयनित पथ के आरेखन पर पड़ने वाले पुलों के निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, पथ सुरक्षा कार्य एवं जल निकास (ड्रेनेज) का कार्य भी किया जा सकेगा। साथ ही सड़क सुरक्षा कार्य योजना का अनुपालन करते हुये आवश्यक सड़क संकेतो/रोड फर्निचर का प्रावधान किया जा सकेगा।

(7) इस योजना के अंतर्गत चयनित पथों में पर्यावरण के संरक्षण हेतु सड़क के किनारे उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण का प्रावधान किया जायेगा। वृक्षारोपण में भुगतान परिमाण विपत्र में अंकित दर का 30 प्रतिशत प्रति वृक्ष के हिसाब से किया जाएगा एवं पाँच वर्षो तक वृक्षों के संधारण के उपरान्त शेष 70 प्रतिशत राशि भुगतेय होगा, जिसमें मृत वृक्षों की राशि शत–प्रतिशत घटा दी जाएगी।

(8) चिन्हित पथों के पुनर्निर्माण/उन्नयन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) में मुख्यतः पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण तथा पंचवर्षीय रुटीन अनुरक्षण इत्यादि कार्यों का आई0आर0सी0 की सुसंगत संहिताओं के आलोक में विभाग द्वारा तकनीकी जाँचोपरान्त बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुसार संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर तथा वित्त विभाग, बिहार पटना द्वारा इस संबंध में समय–समय पर यथा निर्गत संकल्प के अनुसार सक्षम प्राधिकार से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर नियमानुसार कार्यों का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता एवं अन्य सुसंगत संहिताओं के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा।

(9) इस योजना के तहत यथासंभव कार्य प्रमंडलवार/कार्य अनुमंडलवार पथों का पैकेज तैयार कर निविदा के माध्यम से कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।

(10) योजना के तहत कार्यों का क्रियान्वयन गुणवत्तापूर्ण किया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

इसके लिए त्रिस्तरीय जाँच की व्यवस्था के साथ–साथ राज्य में अवस्थित अभियंत्रण महाविद्यालयों के तकनीकी विशेषज्ञ एवं राज्य में अवस्थित क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं का उपयोग किया जा सकेगा। त्रिस्तरीय नियमित जाँच की व्यवस्था निम्नवत् होगी :–

(a) प्रथम स्तर पर कार्य प्रमण्डल/कार्य अंचल/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के द्वारा मानक विशिष्टियों के अनुरूप कार्यो का निर्माण एवं तदोपरान्त सतत् अनुरक्षित रखने हेतु समय–समय पर निर्धारित जाँच की जायेगी।

(b) द्वितीय स्तर पर सेवा निवृत कार्यपालक अभियंता को स्वतंत्र गुणवत्ता अनुश्रवक के रूप में पैनलीकृत कर विभाग द्वारा योजनाओं की जाँच करायी जायेगी।

(c) तृतीय स्तर पर सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता को प्रधान गुणवत्ता अनुश्रवक के रूप में नियमानुसार पैनलीकृत कर विभाग द्वारा योजनाओं की जाँच करायी जायेगी।

इसके अतिरिक्त मुख्यालय द्वारा गठित उड़नदस्ता जाँच दल एवं वरीय पदाधिकारियों से भी आवश्यकतानुसार जाँच करायी जायेगी।

(11) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक डीपीआर परामर्शी, परियोजना प्रबंधन ईकाई, वित्तीय एवं गुणवत्ता विशेषज्ञ, पुल विशेषज्ञ, आधुनिक तकनीकी ईकाई, परिवहन इत्यादि की सेवाएँ, सरकारी/गैर सरकारी सेवा से सेवानिवृत कर्मियों तथा वाह्य स्रोत के माध्यम से सेवाए आवश्यकतानुसार ली जा सकेगी। प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत निदेश निर्गत किया जायेगा।

(12) इस योजना की कुल आकलित राशि का 2.25 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय एवं 01 प्रतिशत आकस्मिक व्यय की राशि का प्रावधान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में आवश्यकतानुसार किया जायेगा। जिसका व्यय डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तैयार करने, गुणवत्ता अनुश्रवकों के मानदेय, परिसंपत्ति प्रबंधन योजना, परामर्शी/विशेषज्ञ सेवा, मानव संसाधन की सेवा, निरीक्षण, परिवहन, यात्रा एवं अन्य विविध कार्य हेतु किया जा सकेगा।

(13) योजना के सघन अनुश्रवण, क्रियान्वयन, गुणवत्ता, परिसम्पत्तियों का प्रबंधन यथासाध्य भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) इत्यादि सभी आकड़ों को पूर्णतः ऑनलाईन प्लेटफार्म पर किये जाने हेतु एक सुदृढ़ अनुश्रवण एवं सूचना प्रणाली (MIS) विकसित की जायेगी।

(14) जनप्रतिनिधियों/जनसामान्य से प्राप्त पत्र, सुधार आवेदन, परिवाद, सुझाव एवं निराकरण की सूचना इस योजना के अंतर्गत ऑफलाईन/ऑनलाईन व्यवस्था के तहत की जायेगी।

(15) इस योजना के निर्माण हेतु आपवादिक स्थिति में आवश्यकतानुसार रैयती/निजी भूमि को सतत् लीज पर प्राप्त करने अथवा भू–अर्जन/अधिग्रहण का प्रावधान निरूपित किया जा सकेगा।

(16) इस योजना पर व्यय योजना शीर्ष अन्तर्गत, बजट/अनुपूरक बजट/बिहार आकस्मिकता निधि/वाह्य ऋण सम्पोषण से प्राप्त राशि से भारित होगा।

(17) इस योजना हेतु लगभग 10000 कि0मी0 ग्रामीण पथों के उन्नयन/पुनर्निर्माण के लिये 10000 करोड़ रूपये की राशि का व्यय अनुमानित है। जिसकी वर्षवार अनुमानित व्यय विवरणी निम्नवत् होगी :–

क्र0	वित्तीय वर्ष	योजना शीर्ष अंतर्गत राज्य बजट से प्राप्त की जाने वाली राशि (करोड़ रू0 में)	अभियुक्ति
1	2023–24	1000.00	
2	2024–25	6000.00	
3	2025–26	3000.00	
	कुल योग	10000.00	

(18) इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में होने वाले 1000.00 करोड़ रु0 व्यय के लिये योजना एवं विकास विभाग से योजना बजट शीर्ष अंतर्गत उद्व्यय प्राप्त किया जायेगा।

(19) पंचवर्षीय रुटीन अनुरक्षण हेतु इस योजना के अंतर्गत होने वाले व्यय का विकलन व्यय मॉग संख्या--37, बजट शीर्ष – 3054 सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष– 04 जिला तथा अन्य सड़कें, लघु शीर्ष– 105 रख–रखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष--0001 ग्राम सड़क –अन्य रख–रखाव व्यय, विषय शीर्ष-- 27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत, विपत्र कोड– 37–3054041050001 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित किया जायेगा।

(20) ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित सुधार, मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के लिए निर्गत विभागीय संकल्प– सहपठित ज्ञापांक –मु0अ0 –4–वि0बैं0–11–35/2007 पार्ट–1–5227, पटना/दिनांक 12.11.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

नोटः– उपरोक्त कंडिकाओं के आलोक में " **ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में चिन्हित ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण/उन्नयन द्वारा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत किये जाने हेतु "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना [Mukhya Mantri Gramin Sadak Unnayan Yojana (MMGSUY)]"** को प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 19.09.2023 की बैठक में मद संख्या–43 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(पंकज कुमार पाल) 22/9/23
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101/2023-4995 पटना, दिनांकः–22/9/2023

प्रतिलिपि :– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव 22/9/23

ज्ञा.पांकः– मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101 / 2023-4998 पटना, दिनांकः– 22/9/2023

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव 22/9/23

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101 / 2023-4999 पटना, दिनांकः– 22/09/2023

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (ई– गजट प्रशाखा), पटना / अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की

(8)